**12.26 hrs.**

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### VISIT OF THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO NEPAL

MR. SPEAKER : Now we can take up Calling Attention.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : Sir, I am on a point of order. You can see Rule No. 197. It is very clear. It reads "A member, may with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance." Sir, the precedent in this House is that in such matters of public importance, the Minister would come with a statement *suo-motu*. The Minister of External Affairs has paid a visit to Nepal. He has visited a very important friendly neighbouring country a few days ago while Parliament is in session. We have seen the reports in the paper. It would have been proper on his part to come and make a statement before the House. You have to take the decision. It is a matter of public importance. Then you by your wisdom allowed the Calling Attention. I would request you to give a directive to the Ministers in the matter for futur guidance.

MR. SPEAKER : The Minister should have made a statement.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : If I had made a statement *suo-motu*, there would have been no occasion for the Members to ask questions. So, I waited for the Calling Attention motion.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN (Satara) : If the Minister had come with a statement before the house *suo-motu*, we would have asked for a discussion on the subject. But in a calling attention motion only those persons who have signed the motion can ask questions. Otherwise, the whole House will ..... (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, I may inform the Leader of the Opposition that only one Member has given calling attention motion. Obviously others are not interested.

MR. SPEAKER : It would have been proper for the Minister to have come forward with a statement.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, I would like to seek your permission to make a statement *suo-motu* on the visit of the Foreign Minister of Japan.

MR. SPEAKER : Now Shri Ugrasen.

**श्री उग्रसेन** (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"उनकी हाल की नेपाल यात्रा तथा नेपाल के नरेश और नेताओं के साथ उनकी वार्ता के परिणाम ।

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी)** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, महामान्य प्रो० कृष्ण राज आर्याल के निमंत्रण पर मैं हाल ही में नेपाल की यात्रा पर गया था और 14 से 16 जुलाई 1977 तक वहां ठहरा था । पूर्वनिश्चित कार्यक्रमों के अनुसार, विदेश मंत्री के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मैंने दूसरे देशों की भी यात्राएं की लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने सबसे पहले नेपाल की यात्रा की । यह सत्य हमारे अनुपम संबंधों को परिलक्षित करता है जो इतिहास, संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक एवं आर्थिक सम्पर्कों पर आधारित हैं । यह यात्रा प्रमुख रूप से भारत और नेपाल के बीच विद्यमान सद्भाव के संवर्धन के लिए तथा हमारी नई सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत के क्रम को जारी रखने के लिए की गयी थी जिसका अत्यन्त लाभप्रद शुभारंभ अप्रैल के शुरू में नेपाल के महामहिम नरेश की भारत यात्रा से हुआ था ।

काठमांडू में मैंने नेपाल के महामहिम नरेश से भेंट की । इस अवसर पर परस्पर विश्वास के वातावरण में हमने आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया था । मैं प्रधान मंत्री, श्री तुलसी गिरि से

भी मिला । इस बातचीत में भारत में घटी घटनाओं के प्रति दिलचस्पी दिखाया जाना स्वाभाविक ही था । मैंने इस बात को पुनः दोहराया कि भारत में हम लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन मैंने यह भी कहा कि भारत सरकार नेपाल के अथवा किसी भी अन्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दो दौर हुए थे जिनमें दोनों पक्षों के अधिकारी उपस्थित थे । मित्रता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों की विशेषता है, हुए इस विचार-विमर्श में दोनों देशों के संबंधों से सम्बद्ध सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया । मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातचीत के परिणामस्वरूप इस बात को स्वीकृति मिली कि हमारी मित्रता को मजबूत करने के लिए तथा आपसी लाभ के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हितों की समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इस उपमहाद्वीप के सभी देशों में स्थिरता हो और उनमें परस्पर समरस और सहयोगपूर्ण संबंध विकसित हों, इस बात में भारत और नेपाल दोनों की समान दिलचस्पी है ।

इसी भावना के साथ हमने शांति के क्षेत्र के विषय में नेपालीपक्ष के विचारों पर भी बातचीत की । मैंने अपने आतिथेय महोदय को बताया कि जनता सरकार हृदय से यह चाहती है कि हमारा समूचा उपमहाद्वीप एक शांत क्षेत्र हो और इसी क्रम में भारत के सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए सरकार कदम उठा रही है । जहां तक नेपाल का प्रश्न है मैंने इस बात का संकेत दिया था कि अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप हम नेपाल की सरकार की तरफ से आने वाले किसी भी सुझाव पर खुले मन से विचार करेंगे । मैंने इस बात की पुन : पुष्टि की कि भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि दोनों देश सदैव शांति के साथ रहेंगे । इस संधि से और तदनतर हमने जो कार्य किए हैं उनसे नेपाल की स्वतंत्रता, उसकी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की पूर्णतः पुनः पुष्टि होती है । नेपाल के विदेश मंत्री जी से यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि नेपाल इस संधि का और उन अन्य सभी वचनों का सम्मान करता रहेगा जो हम दोनों ने मिलकर लिये हैं ।

नेपाल के विदेश मंत्री जी के साथ हुई बातचीत में तथा नेपाल सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, महामान्य पीताम्बर धोज खाती के साथ अलग से हुई एक बैठक में भी भारत और नेपाल के बीच एक नई संधि का प्रश्न भी विचार-विमर्श के लिए उठा था जोकि अगस्त 1976 से स्थगित था । दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति समझायी । नेपाली पक्ष ने कुछ प्रस्ताव रखे जिस पर हमने अपनी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जता दी और हम दोनों में इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा । व्यापार एवं पारगमन के संबंध में जब तक एक नया करार नहीं हो जाता तब तक के लिए उसी व्यापार एवं पारगमन संधि की व्यवस्थाओं को जारी रखा गया है जो अगस्त 1976 में समाप्त हो गयी थी । यह इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक है कि भारत नेपाल व्यापार के मार्ग में अथवा किसी देश के साथ नेपाल के पारगमन व्यापार के मार्ग में किसी तरह की कोई कठिनाई न आए । हमारा अनुभव यह बताता है कि अपना व्यापार बढ़ाने अथवा अपने माल के लिए नयी मंडियां खोजने की दिशा में यह संधि नेपाल की महत्वाकांक्षाओं में आड़े नहीं आयी है ।दोनों देशों को एक दूसरे की वैध चिंताओं का ध्यान रखना होगा और यह भी देखना होगा कि पारगमन के प्रबंधों से दोनों में से किसी भी देश का अहित न हो ।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हमारे दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ के लिए हिमाचल के जल-संसाधनों की विशाल क्षमता का उपयोग करने के लिए हमारे दोनों देशों के बीच जो विभिन्न परियोजनाओं चल रहीं हैं उन पर भी विचार हुआ । इस बात पर भी सहमति हुई कि इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भावी परियोजनाओं पर संयुक्त अध्ययन का जो काम रूका पडा है, जोकि पर्यवरण के परिरक्षण के लिए तथा दोनों देशों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के संवर्धन के हित में हैं, शीघ्र शुरु किए जाएंगे ।

मैं इस ओर से संतुष्ट हूं और मेरे संतुष्ट होने के कारण हैं कि एक ऐसे निकट पड़ौसी होने की वजह से जिनकी सीमाएं दूर तक मिली हुई और खुली हैं और इसीलिए यद्यपि हम दोनों देशों के बीच समस्यायें भी होंगी ही, तथापि इन्हें आपसी बातचीत के द्वारा और हमारे दोनों देशों के लोगों के हित में सुलझा लिया जाएगा । मेरी बातचीत का सार इस बात को प्रतिबिम्बित करता है कि दोनों देश इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि हमारे बहुमुखी और अनुपम संबंध निरन्तर बने रहेंगे । दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि इस यात्रा से हमारी मित्रता को बल मिला है और इससे इस बात की पुन : पुष्टि हुई है कि दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि हमारे लाभप्रद संबंध दोनों देशों के हित में और अधिक बेहतर हों ।

नेपाल की महामहिम सरकार ने मेरा जिस हार्दिकता के साथ स्वागत किया और नेपाल प्रवास के दौरान स्वयं मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का जिस हार्दिकता के साथ सत्कार किया उसके लिए मैं इस अवसर पर अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा ।

**श्री उग्रसेन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय विदेश मंत्री अपने नेपाल के सद्भावना मिशन की यात्रा से वापिस आये तो उन्होंने 16 तारीख को पत्रकारों से वार्ता करते हुए जो वक्तव्य दिया, मैं उन्हीं के शब्दों को यहां रखना चाहता हूं और उनसे उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उन्होंने पहली बात यह कही कि दोनों देशों में करनाली नदी घाटी योजना पर विचार-विमर्श करने का वायदा किया है और पंचेश्वर बांध परियोजना, राप्ती नदी योजना एवं दौलाल घाट—नकरा सड़क परियोजना के सम्बन्ध में कदम उठाने हेतु समझौता हो गया है ।

जिसका जिक्र माननीय मंत्री ने भाववाचक शब्दों में तो किया है, किन्तु स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

मंत्री महोदय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि नेपाल के महाराजाधिराज, उन की सरकार के प्रधान मंत्री, डा० तुलसी गिरि, और वहां के नेताओं के साथ जनतंत्र, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में भी वार्ता हुई थी, और वह इस बात से संतुष्ट थे कि इस वार्ता से दोनों पड़ौसी देशों को लाभ होगा ।

हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा जनतंत्रीय देश है । लोक सभा के गत चुनावों में हमारे देश में जनतंत्र का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, जिस की सराहना अमरीका के राष्ट्रपति कार्टर ने भी की थी । इस बात को मानते हुए कि भारत का यह भी कर्त्तव्य है कि जहां हमारे यहां जनतंत्र फले-फूले, वहां पास-पड़ौस के देशों में भी जनतंत्रीय शक्तियों का समर्थन किया जाये, चाहे वह बंगलादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो—हमें बड़ी खुशी है कि श्रीलंका में श्री जयवर्धन की जीत हुई है—मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि नेपाल के नेताओं के साथ मानवाधिकारों, जनतंत्र और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में

जो बातचीत हुई, क्या उस में श्री वी० पी० कोइराला के सम्बन्ध में भी वार्ता हुई ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** बातचीत के दौरान करनाली, पंचेश्वर और राप्ती की परियोजनाओं पर चर्चा हुई थी । करनाली पर एक पनबिजली परियोजना बनाने का विचार है, जिस से 2,000 मैगावाट बिजली पैदा होगी । नेपाल और भारत अपने वित्तीय साधनों से इस योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे, ऐसा दिखाई देता है । इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्राप्त करना आवश्यक होगा । नेपाल इस परियोजना के लिए एक बोर्ड बनाना चाहता है । उन्होंने हम से कहा है कि हम चार भारतीयों को उस में नामजद करें । वह नामजदगी हम करने जा रहे हैं और हम ने उन से आग्रह किया है कि वह इसी बीच में बोर्ड के टर्म्ज आफ रेफरेंस या कार्यक्षेत्र के बारे में हमें सूचना दे दें, जिस से बोर्ड के गठन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सके ।

पंचेश्वर की योजना, नेपाल में जिसे महाकाली नदी कहते हैं और जो हमारे यहां शारदा नदी है, उस से सम्बन्धित है । दोनों देशों के विशेषज्ञों इस सम्बन्ध से मिल कर इस योजना पर विचार कर रहे हैं । हम ने तय किया है कि यह विचार जल्दी ही पूरा किया जाना चाहिए । यह योजना दोनों देशों की सीमा पर बनेगी, इस लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न भी दोनों देशों के सामने है ।

जहां तक राप्ती नदी की बहूद्देश्यीय योजना का सवाल है, माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं बलरामपुर क्षेत्र का यहां प्रतिनिधित्व कर चूका हूं, जो प्रति-वर्ष राप्ती में आने वाली बाढ़ की विनाश-लीला से ग्रस्त होता है । स्वाभाविक रूप से मेरी इस योजना में व्यक्तिगत रुचि थी । परियोजना की रिपोर्ट नेपाल से हमें प्राप्त हो गई है । भारतीय विशेषज्ञों ने उस पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है । अब हम लोगों ने एक संयुक्त समिति बनायी है जो इस योजना को अन्तिम रूप देगी । इस योजना से नेपाल की सिंचाई और बिजली का लाभ होगा ।

कर्नाली योजना से भी जो बिजली बनेगी हम ने नेपाल से कहा है कि जो भी फालतू बिजली होगी उसे खरीदने के लिए भारत तैयार रहेगा ।

श्री उग्रसेन ने एक प्रश्न और पूछा है । अगर उन्होंने समाचार पत्रों को दिया गया मेरा वक्तव्य पूरा पढ़ा होता या उद्धत किया होता तो इस प्रश्न का भी उत्तर उन्हें मिल जाता । नेपाल नरेश और नेपाल के नेताओं से हम ने बहुत से मामलों पर चर्चा की । सारे मामलों का उल्लेख यहां करना उचित नहीं होगा । अगर हमारे मित्र उग्रसेन महोदय कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अलग से जानकारी दे सकता हूं ।

MR. SPEAKER : Now the hon. Home Minister is to make a Statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : May I seek one clarification in order to understand what the Minister has said ? I am not asking any question. The hon. Minister has said they had raised some discussion on the concespt of zone of peace. Now, we work to understand what is the concept of the 'zone of peace'. It is difficult to understand it.

MR. SPEAKER : I have called the Home Minister

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The hon. Minister has made a statement. We want to understand the concept of the 'Zone of peace.'

MR. SPEAKER : You are a senior member. There are other occasions to ascertain it. I have called the Minister already.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, we are not able to understand the statement made by the Minister. To repeat, we want to understand the concept of the "zone of peace". This is our difficulty.

MR. SPEAKER : There are similar difficulties for other Members also.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The hon. Minister has used the term "zone of peace." We want to understand that concept. Otherwise, this statement is not much of use to us.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : Sir, I agree with you that no questions can be asked by way of a clarification. Shri Shyamnandan Mishra has raised a very fundamental question. On the zone of peace the Minister has stated that he has an open mind. I do not know whether it is open at both the ends. But we would like to know what commitments are being made by the Government of India in this matter. Has he clearly understood the implications of the concept of a zone of peace? What exactly does he mean when he says "we are prepared to consider it with an open mind" ? What exactly is the commitment? If he can not answer it now, or if you do not want to allow him to answer it now, possibly he can give the reply on some other occasion.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Sir, may I say that it will be a wrong practice to raise a discussion on a Calling Attention Notice like this? If proper occasion is sought for this, I would not object to it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am not breaking any new ground. We want to understand the concept which has been proposed.

MR. SPEAKER : We will see what we can do, but not on this occasion. We may find some other occasion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Sir, we have a right to seek a clarification. We are not asking a question.

MR. SPEAKER: I have already ruled that no questions can be asked.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The statement is for the benefit of the House. If the House is not able to understand a statement made by the hon. Minister, the House is perfectly entitled to seek the guidance of the Chair and a clarification from the Minister.

MR. SPEAKER : There are other provisions of the rules under which he can raise it.

**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, कल भी मैं आप से मैम्बर में मिला था, अंग्रेजी की वह किताब आज भी इस देश के अंदर दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में पढाई जा रही है जिस में एमरजेंसी की प्रशंसा है। हम ने उस सिलसिले में आप से आप के चम्बर में भेंट की थी। उस सवाल को आप लगातार टालते जा रहे है।

हम उस को कल फिर उठाएंगे।

---

**12.46 hrs.**

## STATEMENT RE. CLARIFICATION OF CERTAIN INFORMATION GIVEN BY THE MINISTER OF HOME AFFAIRS ON 20TH JULY, 1977 RE. RESIGNATION OF JUSTICE D. S. MATHUR FROM THE COMMISSION OF ENQUIRY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Sir, during the course of discussions arising out of the statement made by me in Lok Sabha on the 20th July 1977 regarding the resignation of Justice D. S. Mathur as the Commission of Inquiry into the affairs of the Maruti Group of concerns, I had replied in the negative when Honourable member Shri K. P. Unnikrishnan asked the question "Whether you have instituted any CBI enquiry into anything covered by his terms of reference". I wish to clarify that cases pertaining to some of the matters covered by the terms of reference of the Commission had been under unvestigation by the CBI under the normal process of law even before the Commission was appointed. As members are aware, inquiries, investigations and launching of prosecutions in respect of criminal offcences can be undertaken regardless of the fact that they may be the subject of inquiry by a Commission appointed under the Commission of Inquiry Act, 1952.

---